पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

फूड प्रोसेसिंग इकाइयों में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

महिला उद्यमिता को बढ़ावा : टीएचआर इकाइयों को ₹9.21 करोड़ की सौर ऊर्जा सब्सिडी

फूड प्रोसेसिंग इकाइयों मे सौर ऊर्जा परियोजना लगाने पर महिलाओ को दी जा रही 90 प्रतिशत सब्सिडी

लखनऊ : 28 जुलाई, 2025

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश मे संचालित टेक होम राशन प्लान्टो को सौर ऊर्जा से जोड़ने की कार्यवाही तत्परता के साथ करायी जाय। प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 75 के.वी.ए. तक लागत का 50 प्रतिशत, महिला उद्यमी हेतु लागत का 90 प्रतिशत सौर ऊर्जा परियोजना पर सब्सिडी देने का प्राविधान उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति मे किया गया, फूड प्रोसेसिंग के उद्यमी और खासकर महिला उद्यमी इस योजना का भरपूर लाभ उठायें। टेक होम राशन प्लान्टो को सोलर एनर्जी से ऊर्जीकृत किये जाने पर जहाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति तो सुनिश्चित हो रही है, वहीं स्वयं सहायता समूहो द्वारा संचालित टी एच आर प्लान्टो का विद्युत बिल नाम मात्र ही आ रहा है। इससे जहाँ प्लान्ट निर्बाध गति से चलने की दिशा मे अग्रसर हो रहे हैं वही स्वयं सहायता समूहो की दीदियो की आय मे इजाफा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री के निर्देशो के क्रम मे टी एच आर इकाइयो को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने की दिशा मे तेजी से कार्य हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण व सतत ऊर्जा उपयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल कर रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि टेक होम राशन (टीएचआर) प्लांटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की कार्यवाही तेजी से कराई जाए। इससे न केवल ऊर्जा की सतत आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों की आय में भी वृद्धि हो रही है।

प्रदेश में संचालित फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के

अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 75 के.वी.ए. क्षमता तक की इकाइयों को लागत का 50 प्रतिशत एवं महिला उद्यमियों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास सके।

इन इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने से इनके बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आई है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अपेक्षा की गई है कि शेष इकाइयों के लिए भी शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे उन्हें सौर ऊर्जा संयंत्र से जोड़ा जा सके और सब्सिडी का लाभ दिलाया जा सके। प्रदेश सरकार की यह पहल महिला उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के समन्वित प्रयास का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व रेशम विभाग श्री बी एल मीना ने बताया कि उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के अन्तर्गत टेक होम राशन (टी.एच. आर.) इकाईयों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने हेतु लगे प्रोजेक्ट हेतु प्राविधानित 90 प्रतिशत सब्सिडी के तहत विभिन्न जनपदों में स्थापित 49 टेक होम राशन (टी.एच.आर.) इकाईयों को रू. 46.04 लाख प्रति इकाई वित्तीय सहायता सब्सिडी के रूप मे अनुमन्य की गयी है।

13 इकाईयों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में रू 46.04 लाख प्रति इकाई सब्सिडी की धनराशि हस्तांतरित की गयी है इस प्रकार इन इकाइयों को कुल धनराशि रू 5.98 करोड़ की सब्सिडी हस्तान्तरित की गयी है।

14 इकाईयों को प्रथम किश्त के रूप में रू 23.02 लाख प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी धनराशि हस्तांतरित की गयी है, यह कुल धनराशि रू 3.23 करोड़ हस्तान्तरित की गयी है। इस प्रकार टी एच आर इकाइयो को कुल रू 9.21 करोड़ की धनराशि सब्सिडी के रूप मे प्रदान की जा चुकी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अपेक्षा की गयी है कि शेष इकाईयों को सौर ऊर्जा संयन्त्र से जोड़ने के सापेक्ष सब्सिडी के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराये जांये।

सम्पर्क सूत्र– बी0एल0 यादव

राघवेन्द्र / 06:30 PM